न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी
क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोडी, तहसील रेवदर, जिला सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी
मंत्री, श्री जीरावला पार्श्वनाथ जैन तीर्थ, जीरावल, तहसील रेवदर, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या:: 56/2018

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956" .

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह देवडा, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा, प्रत्यर्थी की ओर से

:: निर्णय :: दिनांक 14 सितम्बर, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण कि तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील सहायक वन संरक्षक, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या: 01/2017 में पारित निर्णय दिनांक 16.5.2018 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अर्न्तगत प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) उभय पक्ष की दिनांक 11.9.2018 को बहस सुनी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को अतिक्रमी नही मानते हुए अपीलार्थी के विरुद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.5.2018 को पारित कर आवंटन निरस्तीकरण के लिये निर्देशित किया है एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अतिक्रमण के स्तर पर भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत कार्यवाही करना परिपोषणीय नही होने से अस्वीकार कर खारिज करने का आदेश दिया गया है जो विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को सही ढंग से विवेचित नही कर वन विभाग की भूमि पर प्रत्यर्थी का अतिचार होने के बावजूद अतिचार नही मानने में में. कानूनन एवं वाक्याती गलती की गई है क्योंकि खसरा संख्या 426 बहुत बडा रकबा है और उसके बट्टा नम्बर से उक्त भूमि प्रत्यर्थी ने अपने नाम आवंटित करवाई है। दिनांक 23.1.2018 को क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही के सर्वेयर के साथ सीमाज्ञान में श्री जीरावला पार्श्वनाथ जैन तीर्थ द्वारा वन खण्ड निम्बज-जीरावल के कम्पार्टमेन्ट नम्बर 1 के खसरा संख्या 426 में अवैध रुप से वन भूमि को काटकर श्री जीरावला पार्श्वनाथ जैन तीर्थ का यांत्रिक भवन व अतिथि भवन का कुछ भाग एवं विशिष्ठ अतिथि भवन का पूर्ण रुप से वन विभाग की भूमि में निर्माण करना पाया गया है। जिस पर सहायक वन संरक्षक, सिरोही के कार्यालय में

....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

प्रकरण संख्या 1/2017 क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही बनाम महामंत्री, जैन पार्श्वनाथ तीर्थ जीरावला ट्रस्ट के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियचम, 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जिसमें दिनांक 16.5.2018 को उक्त प्रकरण का निस्तारण सहायक वन संरक्षक, सिरोही ने क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण प्रकरण पर भू राजस्व अधिनियचम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत कार्यवाही करना परिपोषणीय नही होने से अस्वीकार करने का जो आदेश दिया गया है वह कानूनन गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध वन विभाग के सर्वेयर की रिपोर्ट को सही ढंग से अवलोकन नही कर विवादित भूमि पर प्रत्यर्थी को अतिचारी नही मानने में कानूनन एवं वाक्याती भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में वन विभाग के सर्वेयर एवं रेंजर के बयान भी नही लिये है। अपीलाधीन आदेश केवल मात्र कयास के आधार पर पारित किया गया है। अपीलार्थी का विवादित भूमि पर खातेदारी हक अधिकार है एवं जमाबंदी में वन विभाग के नाम उक्त भूमि दर्ज होना अंकित है, उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.5.2018 को पारित किया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड से यह तथ्य प्रमाणित होते हुए भी कि विवादित भूमि पर प्रत्यर्थी का कब्जा एवं अतिक्रमण चिन्हित कर वन विभाग के सर्वेयर द्वारा रिपोर्ट देने के बावजूद भी प्रत्यर्थी को वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमी होना नही मानने में कानूनन व वाक्याती गलती कारित की है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वन विभाग द्वारा अपने दस्तावेजी सबूत सारे प्रस्तुत कर दिये थे उसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने वन विभाग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर गौर नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सिर्फ प्रत्यर्थी के जवाब को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि विवादित भूमि वन विभाग की भूमि है जिस पर प्रत्यर्थी द्वारा अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कार्य किया गया है, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने अडौस-पडौस वालों के बयान भी कलमबद्ध नही किये है तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को किसी प्रकार की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वन विभाग के सर्वेयर ने वन विभाग की भूमि का नेकम में नाप तोल करते हुये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिस पर संबंधित अधिकारी अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण प्रत्यर्थी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी को अतिक्रमी नही मानकर अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया है जो विधि विरुद्ध है। विवादित भूमि वन विभाग की भूमि है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.5.2018 को निरस्त किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान लिखित बहस प्रस्तुत की। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने लिखित बहस में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत कानूनन परिपोषणीय नही है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील

.....पेज तीन पर

कार्या. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कलेक्टर को, सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी को, भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध निदेशक, भू अभिलेख को, भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आयुक्त भू प्रबन्ध को प्रस्तुत की जा सकती है। सहायक वन संरक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कलेक्टर को प्रस्तुत अपील कानूनन परिपोषणीय नही है तथा न ही इस न्यायालय को ऐसी अपील पर सुनवाई करने का अधिकार है। अपीलार्थी द्वारा अपील में कई तथ्यों को तोड मरोड कर गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है एवं अपीलार्थी ने जानबूझ कर तथ्यों को छुपाते हुए दुर्भावना से ग्रसित होकर अपील देरी से प्रस्तुत की गई है जो अप्रार्थी ट्रस्ट द्वारा सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाने के बाद प्रस्तुत की है जिसमें पूर्व में मुख्य वन संरक्षक जोधपुर व प्रार्थी वन विभाग द्वारा जारी विभिन्न सर्वे रिपोर्टो को छुपाया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में विषयान्तर्गत भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा विधिवत प्रक्रिया से किया गया है। राज्य सरकार से आवंटित भूमि पर बाद की सुनवाई अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा की जाना न्याय के मूलभूत सिद्धान्त के विरुद्ध है। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने लिखित बहस में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि अप्रार्थी ट्रस्ट एक सार्वजनिक प्रन्यास है व सार्वजनिक हितार्थ कार्यो में संलिप्त है। अप्रार्थी ट्रस्ट द्वारा राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालय, धर्मशालाओं व अन्य सार्वजनिक उपयोग से भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय भूमि आवंटन) नियम 1963 के तहत ग्राम जीरावल तहसील रेवदर के खसरा संख्या 426/1, 432 व 434 में से कुल 24 बीघा व 17 बिस्वा भूमि का आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके बाद जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.9.2006 के द्वारा तहसीलदार रेवदर से अप्रार्थी द्वारा किये गये आवेदन पर विभिन्न बिन्दुओं पर जांच रिपोर्ट तलब की गई। आदेश दिनांक 11.9.2006 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस आदेश द्वारा जिला कलेक्टर ने आवेदित भूमि के संबंध में सभी तथ्यों की जानकारी चाही गई। तहसीलदार, रेवदर द्वारा जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 11.9.2006 का जबाव प्रस्तुत किया गया व इस जवाब में यह प्रस्तावित किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि में से खसरा संख्या 426 व 434 में स्थित भूमि में से कुल 18 बीघा भूमि मौके पर आवंटन योग्य है व इसे अप्रार्थी को आवंटित किये जाने की अनुशंषा की गई। ग्राम पंचायत, जीरावल द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 08.7.2006 द्वारा अप्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि के संबंध में अनापत्ति पत्र जारी किया था। जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.1.2007 द्वारा राज्य सरकार से अप्रार्थी को उक्त वर्णित 18 बीघा भूमि आवंटित करने हेतु स्वीकृति चाही गई जिसका राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.3.2007 के द्वारा स्वीकृति जारी की गई। राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई उक्त भूमि वाद उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा सुनना न्याय के मूलभूमि सिद्धान्तों के विरुद्ध है। राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 16.3.2007 से राजकीय स्वीकृति मिलने के बाद जिला कलेक्टर, सिरोही ने आदेश दिनांक 26.3.2007 के द्वारा खसरा संख्या 426 की कुल रकबा 54 बीघा 12 बिस्व ाव खसरा संख्या 434 की कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा में से क्रमश: 15 बीघा व 3 बीघा कुल रकबा 18 बीघा भूमि का आवंटन

.....पेज चार पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

अप्रार्थी ट्रस्ट को धर्मशाला भवन, उपाश्रय भवन, माताघर भवन, संघ भोजनालय भवन, मेला आयोजन व्यवस्था एवं पर्यावरण उद्यान बगीचा इत्यादि बनाने हेतु राजस्थान भू राजस्व नियम, 1963 के तहत कीमतन आवंटित की गई है। जिला कलेक्टर, सिरोही के आदेश दिनांक 26.3.2007 के द्वारा अप्रार्थी ट्रस्ट को भूमि की तत्कालीन बाजार दर अनुसार रुपये 3,59,856/- जमा कराने हेतु आदेशित किया, जिस पर अप्रार्थी ट्रस्ट ने भूमि की उक्त बाजार कीमत अनुसार राशि को चालान नंबर 777 दिनांक 26.3.2007 के द्वारा राजकोष में जमा करवाया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त रकम जमा कराने के बाद उक्त भूमि का पट्टा अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित किया गया। अप्रार्थी को उक्त भूमि का राजस्व अधिकारियों से पैमाईश करवाकर सीमांकन कर कब्जा भी सुपर्द किया गया। राज्य सरकार द्वारा उक्त पट्टा जारी करने व उक्त भूमि की पैमार्हश व सीमांकन कर कब्जा देने के बाद अप्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य हेतु ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा अपने पत्र दिनांक 8.10.2007 से उपखण्ड अधिकारी, रेवदर व अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को संयुक्त रुप से मौका निरीक्षण कर नियमों के परिप्रेक्ष्य में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर द्वारा चाही गई रिपोर्ट आने व सभी तथ्यों पर पूर्ण संतुष्टि होने के बाद अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साईट प्लान को अनुमोदन अपने आदेश दिनांक 276.12. 2007 के द्वारा किया गया। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त तिकया ग्राम पंचायत जीरावल द्वारा अप्रार्थी को किये गये आवंटन आदेश दिनांक 26.3.2007 के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी.डब्लयू.पी. नम्बर 4449/2007 प्रस्तुत कर चुनौती दी गई जिसमें भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को नियमानुसार निर्माण कार्य करने से नही रोका गया है। उक्त याचिका में राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब में अप्रार्थी को आवंटित भूमि नियमानुसार सही होना बताया गया है। यह कि पूर्व में कार्यालय वनपाल नाका जीरावल द्वारा दिनांक 13.6.2009 से इस बाबत आपत्ति की गई थी कि अप्रार्थी द्वारा खरीदी गई भूमि जो खसरा संख्या 426 व 434 में स्थित है का कुछ भाग वन विभाग की सीमा में आता है। अप्रार्थी ट्रस्ट द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.1.2011 के द्वारा जिला कलेक्टर व जिला वन खण्ड अधिकारी सिरोही एवं मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर को निवेदन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य अनुमोदित नक्शें के अनुसार व तीर्थ के सर्वांगीण विकास के मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए करवाया जा रहा है। उक्त पत्र में यह भी लिखा गया कि वन विभाग का कब्जा अपनी भूमि पर चार दिवारी बनाकर पूर्व में ही किया जा चुका है व इस चार दिवारी को ट्रस्ट द्वारा कतई छेडने का प्रयास नही किया गया है। इस पत्र में अप्रार्थी द्वारा राजस्व विभाग व वन विभाग द्वारा सम्पूर्ण मौका देखकर संयुक्त रुप से भूमि का सीमांकन करवाने हेतु निवेदन किया व यह भी अनुरोध किया कि यदि यह कार्य शीघ्रताशीघ्र नही किया गया तो यह समझा जायेगा कि अप्रार्थी द्वारा किया गया कार्य नियमानुसार सही है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 10.1.2011 के सन्दर्भ में मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा मण्डल वन अधिकारी, सिरोही को आदेशित किया गया कि वह स्वयं भूमि का भूमि का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करे व यदि

....पेज पांच पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

सीमाज्ञान की आवश्यकता है तो अवगत करावे। क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही द्वारा मण्डल वन अधिकारी को पत्र दिनांक 13.1.2011 से यह सूचित किया गया कि स्थानीय वन विभाग के गार्ड द्वारा वन भूमि पर अप्रार्थी ट्रस्ट द्वारा निर्माण कार्य किये जाने की सूचना मिलने पर क्षेत्र का मौका मुआयान किया गया व पाया गया कि ट्रस्ट द्वारा वन भूमि कोई निर्माण कार्य नही किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा पूर्व से कब्जा चार दिवारी की बाउण्ड्री वॉल से किया हुआ है व अप्रार्थी ट्रस्ट द्वारा जिला कलेक्टर, सिरोही के द्वारा अनुमोदित नक्शें के अनुसार निर्माण कार्य किया जा रहा है व यदि ट्रस्ट द्वारा पूर्व में निर्मित वन विभाग की चार दिवारी को छोडकर निर्माण कार्य किया जाता है तो वन विभाग को कोई आपत्ति नही है। दिनांक 24.3.2011 को क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही मय स्टाफ व अप्रार्थी प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 14.3.2011 को किये गये सीमा ज्ञान अनुसार मौके पर उपस्थित हुये व मौके पर सीमाज्ञान अनुसार एंगल व वायर लगवाये गये व साथ ही यह भी पाया गया कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि वन विभाग की पूर्व में बनाई गई स्टोन वॉल, फेन्सिंग वन विभाग की सीमा से दूर है। कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी सिरोडी द्वारा मण्डल वन अधिकारी, सिरोही को पत्र दिनांक 20.4. 2011 द्वारा यह स्पष्ट रुप से सूचित किया गया कि सीमाज्ञान का कार्य वन बंदोबस्त अधिकारी, जोधपुर से आये अमीनों द्वारा किया गया व अप्रार्थी ट्रस्ट द्वारा करवाया जा रहा निर्माण कार्य एवं पूर्व में किया गया निर्माण कार्य उनकी आवंटित भूमि में ही किया गया है। कार्यालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही द्वारा नोटिस क्रमांक 8279 दिनांक 23.9.2016 का जवाब दिनांक 04.10.2016 के आधार पर सहायक वन संरक्षक, सिरोही ने पत्रांक 8597 दिनांक 4.10.2016 को भवनों के फिनीसींग कार्य व रंग रोगन आदि कार्य करने की इजाजत प्रदान की है जिसये भी स्पष्ट होता है कि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि को वन भूमि नही माना है, इसलिये यह कार्यवाही सभी कार्य पूर्ण होने के बाद दुर्भावनावश उत्पन्न पुनर्विचार की श्रेणी में आती है जो विधिक रुप से गलत है। न्यायालय जिला कलेक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 32/2015 अपील भू राजस्व प्रार्थी बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुर निर्णय दिनांक 16.8.2016 में साफ साफ लिखा है कि सरकार द्वारा नियमन आवंटन भूमि खातेदारी हकवाली पर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। राजस्व विभाग, जयपुर की आज्ञा परिपत्र दिनांक 25.5.1971 से स्पष्ट है कि बिलानाम भूमि या सिवायचक भूमि राज्य सरकार द्वारा नियमन या आवंटन की गई हो और वो खातेदारी हकवाली हो तो उसे वनविभाग से मुक्त समझी जा कर राजस्व विभाग को हस्तांतरित समझी जायेगी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय एस.बी.सी.डब्लूय.पी. संख्या 1902/1970, पीटीशन संख्या 4653/1993 के तहत आवंटित भूमि पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत शास्तीयों का उपयोग करना न्याय संगत नही है। उक्त सभी तथ्यों व दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी ट्रस्ट द्वारा करवाया गया निर्माण कार्य किसी भी प्रकार से वन भूमि पर नील किया गया है। वन विभाग की भूमि पूर्व में ही बनी बाउण्ड्री वॉल से घिरी हुई है व अप्रार्थी द्वारा इसे किसी प्रकार से अतिक्रमित नही किया गया है। अप्रार्थी द्वारा करवाया गया निर्माण कार्य अप्रार्थी ट्रस्ट को राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि व अनुमोदित नक्शें की पूर्ण

....पेज छः पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

पालनानुसार ही किया गया है। अप्रार्थी द्वारा जो निर्माण कार्य किया गया है उसका भूमि का जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा बाजार कीमतन मूल्य अनुसार राशि वसूल कर पट्टा जारी किया गया एवं निर्माण कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन करने के बाद निर्माण किया गया है। अप्रार्थी किसी भी रुप से अतिक्रमी की परिभाषा में नही आता है व न ही अप्राथी ने एक इंच भूमि पर अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी द्वारा वन विभाग की भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नही करवाया गया हैं व न ही वन विभाग की भूमि पर किसी प्रकार का अनाधिकृत कब्जा किया गया है। अप्रार्थी ट्रस्ट द्वारा आवंटित भूमि पर अनुमोदित नक्शें के अनुसार निर्माण कार्य वर्ष 2007 से बदस्तूर जारी रहा व वर्ष 2007 में पूर्ण कर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा यह गतिविधि पूर्ण रुप से जनहितार्थ व निस्वार्थ भाव से की जा रही है। अप्रार्थी ट्रस्ट एक धार्मिक कार्य व जनहितार्थ कार्य में कार्यशील है। इसके किसी व्यक्ति विशेष का स्वार्थ निहित नही है। ऐसी स्थिति में, जबकि ट्रस्ट द्वारा करोडों रुपये निर्माण कार्य में खर्च किये जा चुके है व इस स्टेज पर निर्माण कार्य को लेकर किसी प्रकार का विवाद करना पूर्ण रुप से विधि विरुद्ध है। अप्रार्थी ट्रस्ट द्वारा संचालित गतिविधियों द्वारा इस सम्पूर्ण क्षेत्र. में चॅहुमुखी विकास हुआ है व निरन्तर हो रहा है व इस तीर्थ पर रोजाना बडी संख्या में श्रद्धालु दर्शानार्थ आते है। अप्रार्थी द्वारा वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण / कब्जा / निर्माण नही किया गया है। यदि फिर भी किसी प्रकार का सीमांकन से संबंधित विवादित होने की स्थिति में कार्यवाही किये जाने का अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को ही है, इसलिये यह अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे व विधिक रुप से गलत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्याय निर्णय जो एस.बी.सिविल याचिका संख्या 1902/1970 खेतान बिजनेस कार्पोरेशन, बम्बई बनाम राज्य सरकार व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि सीमांकन से संबंधित विवादित होने की स्थिति में कार्यवाही किये जाने का अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को ही है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार से परे है एवं अप्रार्थी द्वारा जो निर्माण कार्य किया गया है वह पूर्ण रुप से विधि अनुसार अप्रार्थी ट्रस्ट को आवंटित भूमि पर सक्षम स्वीकृति के बाद ही किया गया है व अप्रार्थी ट्रस्ट द्वारा वन विभाग की भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य, अतिक्रमण व कब्जा नही किया गया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोडी द्वारा श्री जीरावला पार्श्वनाथ जैन तीर्थ, जीरावल के विरुद्ध वन खण्ड निम्बज-जीरावल के कम्पार्टमेन्ट नम्बर 1 के खसरा संख्या 426 रकबा 0.70 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रुप से श्री जीरावला पार्श्वनाथ जैन तीर्थ का यात्रिक भवन व अतिथि भवन का कुछ भाग एवं विशिष्ठ अतिथि भवन पूर्ण रुप से वन विभाग में निर्माण करने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दिनांक 08.2.2018 को अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही में प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक,

....पेज सात पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सिरोही में महामंत्री, जैन पार्श्वनाथ तीर्थ जीरावला ट्रस्ट, जीरावल के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रंकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया। प्रकरण में सहायक वन संरक्षक, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.5.2018 के अवलोकन से यह पाया गया कि सहायक वन संरक्षक, सिरोही ने प्रत्यर्थी श्री जीरावला पार्श्वनाथ जैन तीर्थ, जीरावल द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर ही क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 08.2.2018 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोडी ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नही किया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोडी द्वारा श्री जीरावला पार्श्वनार्थ जैन तीर्थ, जीरावल के विरुद्ध वनखण्ड निम्बज-जीरावल के कम्पार्टमेन्ट नम्बर 1 के खसरा संख्या 426 की रकबा 0.70 हेक्टेयर वन विभाग की भूमि पर अवैध रुप से कब्जा कर पक्का निर्माण कार्य किये जाने से धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही ने वन विभाग के सर्वेयर की रिपोर्ट को भी अनदेखा कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया है एवं न ही क्षेत्रीय वन अधिकारी के बयान कलमबद्ध किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही ने प्रकरण में वन विभाग के सर्वेयर के बयान भी कलमबद्ध नही किये है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही ने क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोही द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द व मौका पंचनामा दिनांक 23.1.2018 को नही मानने का भी कोई कारण अपीलाधीन निर्णय में नही दर्शाया है तथा न ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व विवादित भूमि का सीमांकन करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के मूल प्रावधानों से परे जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.5.2018 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुन: विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाया जाता है।

अत: अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 01/2017 में पारित निर्णय दिनांक 16.5.2018 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुन: विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय सुनाया गया।

14.09.18

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही